FCI godowns in Himachal Pradesh

645. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the allocation and present capacity of godowns of Food Corporation of India in Himachal Pradesh; and

(b) the number of offices and godowns proposed to be opened in Mandi, Kangra, Lahaul Spiti and Kalka districts of Himachal Pradesh during the current and next two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) The monthly allocation of rice and wheat under TPDS in Himachal Pradesh is 0.05 and 0.07 lakh tonnes respectively. An additional allotment of 0.07 lakh tonnes of rice and 0.04 lakh tonnes of wheat per month is also made, making the total allocation of foodgrain at 0.23 lakh tonnes per month. FCI has a total owned/hired storage capacity of 0.26 lakh tonnes in Himachal Pradesh as on 30.9.98

(b) During the current Annual Plan i.e. 1998-99, there is no proposal for construction of the godowns in Himachal Pradesh. However, during the Ninth Five Year Plan (1997—2001) in Himachal Pradesh, proposals for construction of godowns of 2500 MTs capacity at Keylong/Kaza of Lahaul Spiti District. 1670 MTs at Chamba (District Chamba) and 2500 MTs at Shimla (Shimla district) are under consideration.

In Himachal Pradesh, FCI is already having its District Office located at Mandi, and there is no proposal under consideration for opening of any new office at Mandi, Kangra, Lahaul Spiti and Kalka districts.

प्याज का उत्पादन और आयात

646. **श्री खान गुफरान जाहिदी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत हाल में देश में प्याज की कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) सरकार द्वारा 1998 के दौरान कुल कितने प्याज का निर्यात किया गया और निर्यात की अंतिम खेप किस तारीख को भेजी गई; और

(घ) प्याज के निर्यात मूल्य और वर्तमान आयात मूल्य में कितना अंतर है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) हाल में देश में प्याज के मूल्यों में अचानक वृद्धि के मुख्य कारण वर्ष के दौरान उसके उत्पादन में कमी होना और महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक में सितम्बर और अक्तूबर, 1998 में बेमौसम की बारिश के कारण प्याज की खरीफ फसल की आवक में देरी होना है । खरीफ के प्याज की आवक में देरी के परिणामस्वरूप प्याज के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ख) 1996-97 में कुल 44.3 लाख मी. टन प्याज का उत्पादन हुआ था, जबकि 1997-98 में 36.8 लाख मी0 टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) 118 लाख रू0 पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 537 लाख मी0 टन प्याज का पिछली बार अक्तूबर, 98 में निर्यात किया गया था । 8.10.1998 से प्याज के निर्यात को रोक लिया गया है ।

(घ) नेफेड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने अक्तूबर के महीने में 22061 रू0 प्रति मी. टन की दर से प्याज का निर्यात किया था। अक्तूबर-नवम्बर के दौरान नेफेड ने ईरान तथा किरगिस्तान ने 23,430 रू. प्रति मी. टन की दर से प्याज का आयात किया था ।

Onion Bungle

647. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item "The Onion Bungle" appearing in the "Outlook" dated October 26, 1998;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether the onion being imported would be of Indian origin;

(d) if so, wheuier investigations have been conducted into the muddled food management; and

(e) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH

YADAV): (a) and (b) Government do not agree with the views expressed in the "Outlook" dated 26.10.98.

(c) The onion imported through NAFED on Government Account was of Iranian and Khyrgisthan origin.

(d) and (e) Does not arise.

जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया जाना

648. **श्री जे. चितंरजन** :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण – I सलंग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं की सूची सलंग्न विवरण- II हैं, में दी गई हैं (नीचे देखिए)। आवश्यक समझे जाने पर किसी भी नई वस्तु को इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण - I

क्र0 सं0	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या**	**निम्न तक सूचित**
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2060	सितम्बर
2.	असम	13	अगस्त
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
4.	बिहार	31	जून
5.	गुजरात	-	फरवरी
6.	गोवा	-	जून
7.	हरियाणा	20	अप्रैल
8.	हिमाचल प्रदेश	-	जुलाई
9.	जम्मू व कश्मीर	455	जुलाई
10.	कर्नाटक	11	मई
11.	केरल	-	अगस्त
12.	मध्य प्रदेश	13	जून
13.	महाराष्ट्र	251	फरवरी
14.	मणिपुर	1	जून
15.	मेघालय	-	अगस्त
16.	मिजोरम	-	जनवरी
17.	नागालैण्ड	-	सितम्बर
18.	उड़ीसा	15	अगस्त
19.	पंजाब	3	सितम्बर
20.	राजस्थान	2	जून
21.	सिक्किम	-	जून
22.	तमिलनाडु	179	फरवरी
23.	त्रिपुरा	8	जून
24.	उत्तर प्रदेश	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	319	जून
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	जून
27.	चंडीगढ़	-	मई
28.	दादरा व नगर हवेली	-	मई
29.	दिल्ली	46	सितम्बर
30.	दमण व दीव	-	सितम्बर
31.	लक्ष्द्वीप	-	जुलाई
32.	पाण्डिचेरी	6	जून
	योग :	3433	